न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 84/2016

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
आयचुकी पत्नि स्व0 मोहनराम, जाति घांची, निवासी बडलानगर, झंवर तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01- जेठाराम पुत्र श्री कालूराम, 02- पताराम पुत्र श्री कालूराम, 03- गोतम पुत्र स्व0 श्री मोहनराम 04- रमेश पुत्र स्व0 श्री मोहनराम 05- मंजु पुत्री स्व0 श्री मोहनराम 06- संगीता पुत्री स्व0 श्री मोहनराम 07- सुमित्रा पुत्री स्व0 श्री मोहनराम 08- भंवराराम पुत्र श्री कालूराम के कायम मुकाम 8/1 हेमाराम पुत्र स्व0 श्री भवराराम 8/2 बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री भवराराम 8/3 नारायणराम पुत्र स्व0 श्री भवराराम 8/4 दाखु पुत्री स्व0 श्री भंवराराम 8/5 श्रीमती मेथी पत्नी स्व0 श्री भंवराराम 09- ओमाराम पुत्र स्व0 श्री भंवराराम के कायम मुकाम 9/1 दिनेश पुत्र स्व0 श्री ओमाराम 9/2 अशोक पुत्र स्व0 श्री ओमाराम 9/3 गुडिया पुत्री स्व0 श्री ओमाराम 9/4 इन्द्रा पुत्री स्व0 श्री ओमाराम 9/5 धापु पत्नी स्व0 श्री ओमाराम 9/6 प्रमिला पुत्री स्व0 श्री ओमाराम सभी जातियान् घांची निवासीगण ग्राम झंवर तहसील लूणी जिला जोधपुर।

दावा वास्ते बंटवाड़ा अर्न्तगत धारा 53, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –
1. वादी की और से अधिवक्ता श्री अमर सिंह चौधरी।
2. प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता श्री भागीरथ विश्नोई व श्री ईश्वर सिंह।

आदेश

दिनांक :– 18/9/2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण में दिनांक 09.12.2019 को बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेश पारित किया जाकर वाद प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार लूणी द्वारा ग्राम बडलानगर, झंवर तहसील लूणी के खसरा संख्या 490 व 491 की कुल भूमि रकबा 70.02 बीघा का बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भू.अ./2020/4573 दिनांक 27.02.2020 को तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

प्रकरण में बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बंटवाड़ा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 18.02.2020 अनुसार खसरा संख्या 490 व 491 कुल रकबा 70.02 बीघा भूमि के खातेदारों के रूबरू बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किया गया जिसके अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव निम्न अनुसार हैं :-

क. सं.	खातेदार	खसरा संख्या	रकबा(बीघा)	किस्म
1	हेमाराम, बाबुलाल, नारायणराम, पि0 भवराराम , दाखु पुत्री भंवराराम , मैथी पत्नि भंवराराम, दिनेश , अशोक पि0 ओमाराम, गुडिया, इन्द्रा पुत्रिया ओमाराम नाबालिग वली माता धापु पत्नि ओमाराम , प्रमिला पुत्री ओमाराम, धापु पत्नि ओमाराम, जाति घांची सा0देह खातेदार	491	17.05.10	बारानी प्रथम
2	मेथी पत्नि जेठाराम , जीवाराम , गोपाराम पि0 जेठाराम , रेशमी, चम्पा पुत्रिया जेठाराम, जाति घांची सा0देह खातेदार रहन–स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा झंवर	491	17.05.10	बारानी प्रथम
3	पताराम पुत्र कालूराम , जाति घांची , सा0 देह खातेदार रहन–स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा झंवर	491	12.01.10	बारानी प्रथम
		491	5.04.00	बारानी प्रथम
		02	17.05.10	बारानी प्रथम
4	गोतम , रमेश पि0 मोहनराम , मंजू, संगीता, सुमिया पुत्रिया मोहनराम , आयचूकी पत्नि मोहनराम जाति घांची सा0देह खातेदार	490	00.02.00	गै0मु0ढाणी
		491	17.03.10	बारानी प्रथम
		2	17.05.10	–
5	हेमाराम, बाबुलाल, नारायणराम, पि0 भवराराम , दाखु पुत्री भंवराराम , मैथी पत्नि भंवराराम, दिनेश , अशोक पि0 ओमाराम, गुडिया, इन्द्रा पुत्रिया ओमाराम नाबालिग वली माता धापु पत्नि ओमाराम , प्रमिला पुत्री ओमाराम, धापु पत्नि ओमाराम, 1/4 मेथी पत्नि जेठाराम , जीवाराम , गोपाराम पि0 जेठाराम , रेशमी, चम्पा पुत्रिया जेठाराम, 1/4 पताराम पुत्र कालूराम , जाति घांची	491	1.00.00	बारानी प्रथम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

	,1/4 गोतम , रमेश पि0 मोहनराम , मंजू, संगीता, सुमिया पुत्रिया मोहनराम , आयचूकी पत्नि गोहनराम 1/4 समस्त जाति घांची निवासी झंवर सा0देह खातेदार			

उपरोक्तानुसार वादीनी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैं तथा उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव की मौका फर्द में उपरोक्त हिस्से अनुसार नजरी नक्शा भी मौके पर काबिज अनुसार तथा हिस्से अनुसार दर्शाया गया हैं तथा सभी खातेदारों के आने जाने हेतु रास्ते का रकबा भी छोड़ा गया हैं ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद बंटवाड़ा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 18.02.2020 अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता हैं।

आदेश

अतः वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया जाता हैं कि ग्राम बडलानगर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 490 व 491 कुल रकबा 70 बीघा 02 बिस्वा के सम्बन्ध में बंटवाड़ा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 18.02.2020 में दर्शाये गये हिस्से अनुसार वादीनी एवं प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। मौका फर्द दिनांक 18.02.2020 इस आदेश का अभिन्न अंग समझी जावेंगी। तहसीलदार लूणी मौका फर्द दिनांक 18.02.2020 अनुसार राजस्व रेकर्ड में आवश्यक अमल दरामद करें तथा वादीनी तथा प्रतिवादीगण के खाते मौका फर्द बंटवाडा प्रस्ताव में दर्शाये गये हिस्से अनुसार अलग अलग कर मौका फर्द में दर्शाये गये नजरी नक्शें के आधार पर मौके पर काबिज अनुसार राजस्व नक्शें में इन्द्राज व तरमीम दर्ज करें। प्रतिवादीगण के विरुद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादिनी के रहवासीय मकान में जाने हेतु तथा उसके उपयोग व उपभोग करने में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वंय करे ना ही किसी अन्य से करावें। तद्नुसार डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

(गोपाल परिहार)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

निर्णय आज दिनांक 18/9/2020 को बसरे ईजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner